न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

503

C.F. Rs. 20/-

R - 3278 - III/13

जनार्दन प्रसाद चतुर्वेदी तनय बसंतलाल चतुर्वेदी उम्र 81 वर्ष, पेशा पेंशनर व खेती निवासी ग्राम छाहर, पोस्ट/तहसील चंदिया, जिला उमरिया म0प्र0

------निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम्

हरिप्रसाद कुम्हार तनय बबुली कुम्हार उम्र 50 वर्ष जातीय पेशा, निवासी वार्ड नम्बर-08 छुईहाई टोला चंदिया, तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

---------गैर निगरानीकर्ता/प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.13 जो प्रकरण कमांक 06अ6(अ)/2012-13 मे तहसीलदार चंदिया द्वारा पारित किया गया।

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

---

मान्यवर,

**निगरानी के आधार के पूर्व इस प्रकरण के तथ्यों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है:-**

प्रार्थी भूमि नम्बर 9/12 रकवा 0.809 हैक्टेयर स्थित ग्राम छाहर तहसील चंदिया जिला उमरिया का मालिक काबिज व भूमिस्वामी है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी के पिता बबुली कुम्हार से

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक-** निग.-3278-तीन/2013 जिला-उमरिया

**जनार्दन प्रसाद विरूद्ध हरिप्रसाद कुम्हार**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित ।<br>3. यह निगरानी तहसीलदार चंदिय, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 06/अ-6(अ)/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13.08.2013 ~~24-08-2015~~ को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय | |

23.01.19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23/01/19
सदस्य